

प्रेषक

रुपाली सरकार,
अपर जिला जज / विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एकट),
जौनपुर ।

सेवामें

श्रीमान महानिवन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद ।

द्वारा: माननीय जनपद न्यायाधीश,
जौनपुर ।

विषय: जनपद जौनपुर से मेरठ मण्डल के किसी जनपद में परिपक्वतापूर्व (Pre-mature) स्थानान्तरण के संबंध में प्रतिवेदन:

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में सविनय निवेदन है कि प्रार्थिनी मूल रूप से जनपद बदायूँ की निवासिनी है। मुरादाबाद जजशिप में अवधि पूर्ण हो जाने के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की अधिसूचना संख्या 1410/Admin(Services)/2024, दिनांकित 17-04-2024 द्वारा प्रार्थिनी का स्थानान्तरण मुरादाबाद जजशिप से जौनपुर जजशिप में अपर जिला जज / विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एकट) के पद पर हुआ है। प्रार्थिनी ने दिनांक 18-04-2024 के पूर्वाहन में उक्त पद एवं न्यायालय का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। जनपद जौनपुर प्रार्थिनी के गृहजनपद बदायूँ एवं प्रार्थिनी के पिता के वर्तमान निवास स्थान जनपद मुरादाबाद दोनों से लगभग 600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रार्थिनी के सभी सगे-सम्बन्धी मेरठ मण्डल व वरेली मण्डल में ही अधिवासित हैं। इस स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप प्रार्थिनी के सम्मुख कतिपय कठिन परिस्थितियां उत्पन्न हो गयी हैं।

प्रार्थिनी के पति का लगभग साढ़े चार वर्षों पूर्व स्वर्गवास हो गया है एवं प्रार्थिनी के दो छाट-छाटे बच्चे कमश: 12 वर्ष एवं 10 वर्ष की आयु के हैं। इन दोनों बच्चों की देख-रेख एवं शिक्षा-दीक्षा का उत्तरदायित्व अब पूर्णरूपेण प्रार्थिनी के ऊपर आ गया है।

प्रार्थिनी के श्वसुर (Father-in-law) का स्वर्गवास हो जाने के कारण प्रार्थिनी की 68 वर्षीय बृद्ध सासू मां (Mother-in-law) अब प्रार्थिनी के साथ ही रहती है। अतिवयता के कारण वे भी विभिन्न प्रकार की शारीरिक समस्याओं से ग्रसित रहती हैं। सासूमां (Mother-in-law) की भी देख-रेख एवं चिकित्सा आदि का पूरा उत्तरदायित्व प्रार्थिनी के ऊपर ही है।

अपने गृहजनपद व पिता जी के वर्तमान निवास स्थान से अत्यधिक दूर जनपद जौनपुर में कार्यरत रहने की स्थिति में प्रार्थिनी के पिता, जो वर्तमान में लगभग 74 वर्ष की आयु के हैं, का इस विकट परिस्थिति में कोई मनोवैज्ञानिक सहयोग एवं समर्थन प्रार्थिनी को प्राप्त नहीं हो पा रहा है एवं समय समय पर प्रार्थिनी भी आवश्यकतानुसार उनके सनिकट रहकर उनका अपेक्षित सहयोग नहीं कर पा रही है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रार्थिनी जनपद जौनपुर से मेरठ मण्डल के किसी जनपद में अपने परिपक्वतापूर्व (Pre-mature) स्थानान्तरण की इच्छुक है। माननीय न्यायालय के कृपालु आदेश से प्रार्थिनी का परिपक्वतापूर्व (Pre-mature) स्थानान्तरण मेरठ मण्डल के किसी जनपद में हो जाने पर, प्रार्थिनी उपर्युक्त

२३/०५/२५

कठिनाईयों एवं समस्याओं का सामना सहजता से कर सकेगी, एवं निरन्तरता व एकाग्रता से न्यायिक कार्य सम्पादित कर सकेगी।

अतः माननीय महोदय से विनम्र प्रार्थना है कि प्रार्थिनी की उपरोक्त परिस्थितियों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए प्रार्थिनी का परिपक्वतापूर्व (Premature) स्थानान्तरण जनपद जौनपुर से मेरठ मण्डल के किसी जनपद में किए जाने हेतु यह प्रतिवेदन/याचना माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, जौनपुर
पत्रांक..... दिनांक..... 23.04.24
अग्रस्तारित
जनपद न्यायाधीश
जौनपुर

भवदीया,
(30/04/2024)
(रूपाली सक्सेना),
अपर जिला जज/
विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एकट),
जौनपुर।